

**Application for allotment of Temporary Bhandara/Jagran/Chabbil etc. In the premises of Shri Mata Mansa Devi Temple during the Chaitra Navratri Mela i.e. 30-03-2025 to 06-04-2025.**

भण्डारा कमेटियां निम्न प्रोफार्मा जो कि श्री माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड की वेबसाईट [www.mansadevi.org.in](http://www.mansadevi.org.in) पर उपलब्ध है में दिनांक 17.03.2025 तक ई-मेल [jaimansadevima@gmail.com](mailto:jaimansadevima@gmail.com) के माध्यम से आवेदन करेगी तथा दिनांक 18.03.2025 को 3.00 बजे द्वारा भण्डारा हेतु स्थान साईट पर ही आंबित किये जायेगे।

1.	भण्डारा कमेटी का नाम	
2.	भण्डारा कमेटी का स्थाई पता	
3.	प्रधान/सचिव का फोन न0	
4.	ई-मेल	
5.	पंजीकरण न0	
6.	पंजीकरण प्राधीकरण का नाम	
7.	भण्डारा लगाने की तिथि	
8.	पिछले कितने वर्षों से भण्डारा लगाया जा रहा है।	
9.	भण्डारे में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या में	
10.	भण्डारा में सुबह की चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, व रात का खाना। (उपरोक्त में से क्या-क्या सर्व किया जायेगा)	
11.	क्या भण्डारे के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि की जायेगी। जैसे जागरण, हेल्थ कैम्प का भी विवरण दें।	
12	अनुमानित खर्च (कुल)	
13.	अन्य विवरण	

( कृप्या सभी दस्तावेजों की प्रति साथ संलग्न करें )

सभी भण्डारा कमेटी निम्नलिखित नियम एवं शर्तों पालना करेगी।

- नवरात्र मेला के दौरान केवल दर्शायी गई तिथियों में भण्डारा/छब्बील का आयोजन किया जायेगा। उनको बोर्ड द्वारा केवल स्थान उपलब्धता अनुसार मुहैया करवाया जायेगा और बोर्ड के अधिकारियों का फैसला सभी पार्टियों को मान्य होगा।
- दिये गये परिसर/क्षेत्र में किसी प्रकार की अप्रिय घटना एवं अग्नि पर नियन्त्रण की व्यवस्था आदि स्वयं सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी।

3. मन्दिर प्रशासन/बोर्ड द्वारा दी गई जगह/स्थान का प्रयोग केवल भण्डारा/छब्बील लगाने के लिए ही किया जायेगा, उस पर ना तो किसी प्रकार की कोई व्यवसाय की गतिविधि करेंगे और ना ही किसी प्रकार का विज्ञापन आदि का प्रयोग किया जायेगा ।
4. मन्दिर प्रशासन/बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के कार्यक्रम न करवाये जायेंगे 5. घनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
6. किसी प्रकार के नुकसान या हानि की भरपाई सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी ।
7. भण्डारा/छब्बील परिसर में अग्नि शमन यंत्र का प्रबन्ध अनिवार्य है जोकि सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा ।
8. प्रयोग में लाये जाने वाले स्थान की साफ सफाई का जिम्मा भी सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि का होगा ।
9. मन्दिर प्रशासन/बोर्ड द्वारा दिया गया स्थान/जगह केवल सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा मांगी गई तिथियों के लिए ही केवल भण्डारा/छब्बील हेतु प्रयोग में लाया जायेगा ।
10. बिजली व पानी की व्यवस्था भी स्वयं व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी ।
11. मन्दिर प्रशासन/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थान/जगह पर किसी भी रूप में धन/सामान एकत्रित नहीं किया जायेगा ।
12. घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग करना वर्जित होगा ।
13. सिक्योरटी राशि 10,000/- (राशि दस हजार रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट) बोर्ड कार्यालय में भण्डारा/ छब्बील लगाने हेतु जो लेखाकार के पास जमा करवाई जायेगी जोकि रिफण्डैबल होगी तथा गठित कमेटी की रिपोर्ट उपरांत की जायेगी ।
14. श्री माता मनसा देवी पूजास्थल परिसर में विशेष ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुये हर प्रकार के प्लास्टिक सामान जैसे कैरी बैग, सभी प्रकार के साईंज व मोटाई वाले प्लेट, कप, चम्मच, गिलास, कांटा व पेय पदार्थ पीने वाली पाईप का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित है ।
15. भण्डारा/छब्बील की रसोई 20 प्रतिशत क्षेत्र में होनी चाहिए तथा servicing क्षेत्र 80 प्रतिशत का होना चाहिए ।
16. प्रतिदिन भण्डारा चलाने की समय सारणी व कितने श्रद्धालुओं को भण्डारा खिलाया गया के बारे दिये गये स्थान पर किसी साईंन बोर्ड पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे ।
17. सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि में जो भी कर्मचारी कार्यरत होंगे उनका पूर्ण ब्योरा सम्बन्धित पुलिस थाना मनसा देवी कम्पलैक्स, पंचकूला में जमा करवायें, जमा न करवाने की सूरत में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि के लिये व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेवार होंगे ।
18. भण्डारा बनाने एवं वितरित करने वाले प्रतिनिधि/कर्मचारी/वर्कर का मैडिकल फिटनेस से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र भी नजदीक सामान्य अस्पताल या मेले में स्थापित सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से बनवाकर रखे ऐसा कोई प्रतिनिधि/व्यक्ति/वर्कर नहीं होना चाहिये जो किसी प्रकार के संक्रमित रोग या किसी प्रकार के नशे इत्यादि का सेवन करता हो, यदि कोई ऐसा हो तो उससे भण्डारा बनाने एवं वितरित करने के कार्य को पूर्णतया: वर्जित करना सुनिश्चित करेंगे । भण्डारा के किसी भी कर्मचारी/प्रतिनिधि/वर्कर जो भण्डारा बनाते हो एवं श्रद्धालुओं को वितरित करते हो को जिला प्रशासन/बोर्ड प्रशासन के अधिकारी किसी भी समय चैक कर सकते हैं ।
19. सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि कृपया यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किसी प्रकार का कूड़ा-कर्कट/बेकार वस्तुओं इत्यादि के निपटान के लिये बड़े-2 कचरे के डिब्बे का प्रयोग करेंगे तथा उक्त कचरे के डिब्बे साफ सुधरे होने चाहिये और इसमें डालने वाली बेकार वस्तुओं को समय-2 पर खाली करवाकर साफ-सुधरा करवाना भी सुनिश्चित करेंगे ।
20. सम्बन्धित व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जो भोजन/प्रसाद/मिठाई एवं जल/फल इत्यादि का वितरण उनके द्वारा श्रद्धालुओं को किया जायेगा इसके बारे जिला खाद्य अधिकारी, पंचकूला से अपने-2 खाद्य पदार्थों के सैम्पत्ति समय-2 चैक करवाकर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी भी प्रकार का बासी, दूषित भोजन एवं जल/फल का प्रयोग व वितरण नहीं करेंगे तथा Food Safety Act में किये गये प्रावधानों की भी पालना करना सुनिश्चित करेंगे ।
21. जो स्थान/संख्या दर्शायी गई है उसमें भण्डारे का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे ।
22. उपरोक्त किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर उक्त व्यक्ति/पार्टी/प्रतिनिधि को दी गई अनुमति किसी भी समय रद्द की जा सकती है या भविष्य में उपरोक्त को अनुमति नहीं दी जायेगी तथा जमा करवाई गई सिक्योरटी राशि जब्त कर ली जायेगी ।
23. भण्डारा कमेटियों को Draft of lots के आधार पर जगह आंविट्ट की जायेगी ।
24. जो भण्डारा कमेटियां पिछले 7 साल से श्री माता मनसा देवी पूजास्थल परिसर में भण्डारा लगा रहे हैं उनको वरीयता दी जायेगी ।
25. जगह अलॉट करने के बाद जो भण्डारा कमेटी भण्डारा लगाने में असफल रहती है उसे भविष्य के लिए वर्जित कर दिया जायेगा ।

26. जो भण्डारा कमेटियां पूरे नवरात्रों यानि 9 दिन के लिए भण्डारा लगाने हेतु आवेदन करेगा उन्हे ही जगह आवंटित की जायेगी।
27. मेला कमेटी को आबंटित स्थान को स्थानान्तरण का अधिकार नहीं है।

I \_\_\_\_\_ S/O Sh.\_\_\_\_\_

President \_\_\_\_\_ verified that the contents of my above are true and correct to the best of my knowledge. No part of the same is false and nothing has been concealed there from and also solemnly affirms & declares that the terms and conditions shall be adhered fully.

Signature\_\_\_\_\_

Name\_\_\_\_\_

Designation\_\_\_\_\_

President\_\_\_\_\_

Address\_\_\_\_\_

Phone No. \_\_\_\_\_